96

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्रीएस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3330—दो/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—07—12 द्वारा अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 246/अ—6/2011—12/निगरानी.

.....

1— मथुरा प्रसाद तनय स्व0 रामजियावन
2. रामश्रय तनय स्व0 रामजियावन
3. गेदुरी पत्नी लोल्ला
4. गोगवा पुत्री लोल्ला
निवासीगण ग्राम लालगांव तहसील सिरमौर
जिला रीवा म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1.श्यामलाल 2.छोटेलाल पुत्रगण स्व सीताराम
3.पुष्पा देवी 4. राजकुमारी पुत्रीगण स्व0 मोतीराम
5.राजेश वर्मा तनय स्व0 मोतीराम
6. रवी वर्मा तनय स्व0 मोतीराम
निवासी— ग्राम लालगांव तहसील—सिरमौर
जिला—रीवा म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री रामजीत तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजकुमार शुक्ला, अभिभाषक अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 13/11/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–07–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा आराजी नं0 2097, 2098 स्थित मौजा लालगांव तहसील सिरमौर के संबंध में व्यवहारवाद प्रस्तुत किया गया था उक्त व्यवहारवाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1/4 भाग विवादित आराजी में स्वत्व पाते हुए हिस्सा 1/4 की डिग्री पारित की गई जिसके परिप्रेक्ष्य में अनावेदन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बंटवारा चाहा गया था जिसकी सूचना प्राप्त होने पर आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत कर समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजूद प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही पर हल्का पटवारी द्वारा फर्द बंटवारा पुल्ली प्राप्त की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 31.7.12 को निगरानी निरस्त की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रसतुत की गई है।

3– आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की गई है। लेखी बहस में लेख किया गया है कि आराजी कमांक 2097 रकवा 0.25 एकड आराजी कमांक 2098 रकवा 0.07 एकउ कुल करवा 0.32 एकड़ स्थित मौजा लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा में 1/2 हिस्सा की स्वत्व घोषणा बटनवारा एवं आवेदकगण के हक में हुये नामांतरण को शून्य व प्रीावहीन घोषित किये जाने हेतु व्यवहारवाद व्यवाहर न्यायालयसिरमौर में प्रस्तुत कियागया था जो व्यवाहार वादकमांक 204 ए/96 में पंजीबद्व कियां गया तथा प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत

मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य व प्रस्तुत तर्क पश्चात व्यवाहर न्यायाधीश वर्ग–2 सिरमौर जिला रीवा अपने डिकी एवं निर्णय दिनांक 18.10.05 को अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत व्यवाहार वाद निरस्त कर दिया। उनके द्वारा यह कहा गया है कि अनावेदकगण द्वारा जो व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है वह मात्र आराजी कमांक 2097 रकवा 0.25 एकउ आराजी कमांक 2098 रकवा 0.07 एकड के संबंध में था किन्तु विवदित आराजियातों में आवेदकगण का दो मंजिला पक्का मकान निर्मित है जिसका कोई उल्लेख अनावेदकगण द्वारा अपने वाद पत्र में कोइ निर्णय पारित नहीं किया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित प्रावधानों से सही है उसमें किसी प्रकार की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया अध्ययन से स्पष्ट होता है कि गैर निगरानीकर्तागणों का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश रीवा के व्यवहार अपील क0 46ए / 2005 निर्णय दिनांक 17.03.07 के आधार पर मौजा लालगांव तहसील सिरमौर जिला रीवा स्थित आराजी खसरा नं0 2097 रकवा 0.25 एकड आराजी कमांक 2098 रकवा 0.07 एकड के नामान्तरण बंटवारा हेतु संहिता की धारा 109, 110, 178 के अन्तर्गत आवेदन पेश किया गया। कार्यवाही के दौरान निगरानीकर्तागणों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 28.12.11 को आपत्ति आवेदन पेश किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा बनाई गई पुल्ली को निरस्त कर संहिता की धारा 178 के उपबंधो के अनुसार विभाजन कर पुनः पुल्ली बनाए जाने का आदेश पारित किया जाय। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा निगरानीकर्ता की आपत्ति पर सुनवाई की गई तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है जो परीक्षणोपरांत

विधि संगत पाया जाता है, क्योकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश रीवा के नियमित व्यवहार अपील क0 46ए/15 में पारित निर्णय दिनांक 17.3.2007 के अनुसार गैर निगरानीकर्ता के आवेदन पर कार्यवाही की जा रही है। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही की जा रही । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में अल्लिखित किया गया है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के धारा 178 की टिप्पणी "ए" मे प्रावधान है कि यदि सिविल न्यायालय द्वारा हक के प्रशन का अवधारण हो चुका है, तव राजस्व न्यायालय उसी प्रश्न को पुनः नही उठाने देगा और विभाजन की कार्यवाही अधिकार अभिलेख की पृविष्टि अनुसार करेगा। अतः मामले का निराकरण उपरोक्त प्रावधान अनुसार ही किया जावेगा अधीनस्थ न्यायायल के उपरोक्तनुसार ही आदेश से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के अंतिम आदेश में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि अपर कलेक्टर द्वारा नही पाई गई जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपर कलेक्टर द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। अतः अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 246/अ–6/2011–12/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31.7.2012 का आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर